माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सदस्यगण,

1. बारहवीं विधान सभा के सप्तम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है । राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में राजस्थान के समग्र विकास के लिए किये गये अथक प्रयासों एवं कुशल प्रबंधन का ही यह सुफल है कि आज का राजस्थान तेजी से विकास पथ पर बढ़ने की ओर अग्रसर है ।

2. राज्य सरकार द्वारा अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण वार्षिक योजना के आकार एवं व्यय में निरन्तर वृद्धि की जा रही है । राज्य के राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे में लगातार उल्लेखनीय सुधार हो रहा है । सरकार द्वारा योजना व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि की गई जिसके फलस्वरूप दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों में 22853 करोड रुपये का व्यय सम्भावित है जो कि नवीं पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय 19567 करोड़ रुपये से अधिक है ।

3. मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 68,422.16 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई है जो कि राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पंचवर्षीय योजना है । इस प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का आकार आठवीं, नवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुए कुल व्यय 64,894 करोड़ रुपये से भी अधिक है ।

4. योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 2007–08 के लिए 11,638.86 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई है जो कि राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुल आकार 11,500 करोड़ रुपये से अधिक है ।

5. बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान अखिल भारतीय स्तर पर निरन्तर चौथे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा ।

6. राज्य में गत तीन वर्षों के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप फरवरी, 2004 के पश्चात् राज्य कभी भी ओवर ड्राफ्ट में नहीं रहा, तथा न ही कभी रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम लेना पड़ा। इस वर्ष राज्य द्वारा लिये जा रहे शुद्ध ऋण की लगभग समस्त राशि पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में ली जा सकेगी।

7. राज्य के राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी आयी है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए लागू किये गये राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (FRBM) के आधार पर राज्य द्वारा केन्द्र सरकार से 31 मार्च, 2004 तक लिये गये ऋणों की बकाया राशि का समेकन (Consolidation) कर दिया गया है। राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में की गयी अपेक्षित कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 के लिए भारत सरकार से राशि 308.70 करोड़ रुपये के ऋण अपलेखन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2006–07 में देय राशि रुपये 308.70 करोड़ रुपये के ऋण

अपलेखन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है।

8. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनके पक्ष में कृषि भूमि के क्रय दस्तावेज पंजीयन कराने पर मुद्रांक शुल्क की रियायती दर 5 प्रतिशत किये जाने पर राज्य में 3.68 लाख महिलाओं को सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हुये हैं।

9. संवत् 2062 में राज्य के 22 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले 15,778 गॉवों एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 161 गॉवों को अभावग्रस्त घोषित किया। अभावग्रस्त जिलों में दिनांक 1.1.2006 से 10.7.2006 तक राहत कार्य चलाये गये तथा राहत कार्यों पर माह जून, 2006 में अधिकतम 18.01 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । 1 जनवरी, 2006 से 10 जुलाई, 2006 तक चलाये गये राहत कार्यों एवं सतत् कार्यों के साथ डोवटेल कार्यों के तहत 13.30 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। राहत कार्यों में 14,809 मिड डे मील किचन शेड, 3,568 आंगनबाडी केन्द्रों, 13,803 ग्रामीण शौचालयों, 7,540 खेत तलाई, 1,244 कुओं में वर्षा जल पुनर्भरण हेतु कूप जल संग्रहण के कार्य राहत कार्यों के साथ डोवटेल कर कराये गये। कच्चे कार्यों के तहत 23,497 सार्वजनिक तालाब, पोखर व नाडियों को गहरा कराने एवं इनके जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया।

10. अभावग्रस्त जिलों में पशुओं को अनुदानित दरों पर चारा वितरित करने के लिये 872 चारा डिपो के माध्यम से 94,320.15 मै0 टन चारा वितरित किया गया तथा पशु शिविर

एवं गौशालाओं के माध्यम से 4.41 लाख पशुओं को अनुदान देकर लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत 6,172 ग्राम एवं ढ़ाणियों में 4,117 टेंकर्स ट्रीप प्रतिदिन परिवहन कर पेयजल उपलब्ध कराया गया। अभावग्रस्त जिलों में असहाय, अपंग एवं वृद्ध 1.11 लाख लोगों को 50 रुपये नकद एवं 50 कि.ग्रा. गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुग्रह सहायता दी गई ।

11. राज्य के बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के 9,625 गाँव, 67.44 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई, राज्य सरकार द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों को बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु 23,230.90 लाख रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई । कवास एवं मलवा गाँवों के अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवारों को अन्य जगह पुनर्वास हेतु प्रत्येक परिवार को 1.25 लाख रुपये की लागत के मकान निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं व अन्य परिवारों को 25 प्रतिशत राशि लेकर आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।

12. राज्य मे बाढ से हुई भारी क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार को 3,284.22 करोड़ की मांग का ज्ञापन भिजवाया गया जिसके विरूद्ध भारत सरकार से अभी तक केवल 100.00 करोड़ रुपये की राशि ही प्राप्त हुई है।

13. संवत् 2063 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 5.1.2007 द्वारा राज्य के 22 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले 10,529 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित

किया। अभावग्रस्त जिलों में दिनांक 11.1.2007 से राहत कार्य चलाये जा रहे हैं । ओलावृष्टि से प्रभावित 5 जिलों के 102 गाँवों को दिनांक 20.2.2007 को अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा राहत पैकेज घोषित कर प्रभावित किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

14. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2007 तक 1,468.59 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर 1,257.34 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं, जो प्राप्त राशि का 85.62 प्रतिशत है। राज्य में किसी एक वर्ष में अब तक ग्रामीण विकास पर व्यय की गई यह अधिकतम राशि है।

15. ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से एस.जी.एस. वाई. के अन्तर्गत माह जनवरी, 2007 तक 29.43 करोड़ रुपये के व्यय से 21,791 गरीब परिवारों को विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। इनमें से 12,866 महिलाएं, 6,495 अनुसूचित जाति एवं 5,645 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं।

16. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत डा. रेड्डी फाउन्डेशन के माध्यम से 18 से 35 आयु वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के कम से कम आठवीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को विभिन्न गतिविधियों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रथम फेज में 5,000 बी.पी.एल. युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये 10 जिलों का चयन किया

गया है। इसमें 10 जिलों में 1,546 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया व 916 को विभिन्न क्षेत्र में नौकरी दी गई। द्वितीय फेज में 5,000 और बी.पी.एल. युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

17. ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 में माह जनवरी, 2007 तक 146.09 करोड़ रुपये के व्यय से 122.11 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

18. राजस्थान रोजगार गारन्टी कार्यक्रम राज्य के 6 जिलों यथा डूँगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ एवं करौली में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना को पारदर्शिता से लागू करने में राज्य की सभी स्तरों पर सराहना की गई है। इस योजना में देश के चयनित 200 जिलों में प्रदान किये गये औसत रोजगार के आधार पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में भी राजस्थान ने देश में पहल की है जिससे कार्य में पारदर्शिता आयी है। योजना पर जनवरी, 2007 तक 506.22 करोड़ रुपये व्यय कर 806.21 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2007 तक 15.13 लाख परिवारों को रोजगार के लिये पंजीकृत किया गया। सभी परिवारों को जॉबकार्ड जारी किया जा चुका है। योजना के तहत 10.94 लाख परिवारों के 14.87 लाख व्यक्तियों को

रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा 2.39 लाख पंजीकृत परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया गया है।

19. इंदिरा आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा बी.पी. एल. परिवारों के लिये नए आवासों हेतु 25,000/– रुपये प्रति आवास राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों हेतु इन्दिरा आवास योजना के तहत 25,000/– रुपये की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की गयी है परिणामस्वरूप अब इन परिवारों को प्रति आवास 50,000/– रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2006–07 में माह जनवरी, 2007 तक 41.86 करोड़ रुपये व्यय कर 8,606 परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध करवाये गये तथा 28,044 आवासों का कार्य प्रगति पर है।

20. मिड–डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी 32 जिलों में समस्त राजकीय एवं राज्य अनुदानित लगभग 74,690 विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं विविधतायुक्त भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जन सहभागिता को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मिड–डे–मील ट्रस्ट राजस्थान का गठन किया जा चुका है।

21. राज्य के अल्प विकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यथा मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय विकास

कार्यक्रम एवं मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस वर्ष 2006–07 में माह जनवरी, 2007 तक 7.99 करोड़ रुपये के व्यय से 709 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

22. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2007 तक 108.61 करोड़ रुपये के व्यय से 7553 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

23. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना में वर्ष 2006–2007 में 100.00 करोड़ रुपये के व्यय के प्रावधान के विपरीत माह जनवरी, 2007 तक 92.34 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

24. वर्ष 2006–07 में जल ग्रहण परियोजनाओं यथा मरू विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,355 नई परियोजना जिनकी लागत 465.45 करोड़ रूपये है, भारत सरकार से स्वीकृत कराई गई है।

25. राज्य सरकार द्वारा 2 जनवरी से 11 फरवरी, 2007 तक ग्राम सम्पर्क अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसके तहत गत 3 वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित 4 लाख 10 हजार परिसम्पत्तियों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इसमें 99.50 प्रतिशत परिसम्पत्तियां अस्तित्व में पाई गयी। इतने बड़े

स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य देश में संभवतः पहली बार किसी राज्य द्वारा किया गया है।

26. पंचायती राज विभाग द्वारा रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में जनवरी, 2007 तक 25 हजार 444 आवासीय भूखण्ड आवंटित कर आवास विहीन ग्रामीण योग्य परिवारों को लाभान्वित किया गया।

27. बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग–तृतीय के तहत वर्ष 2006–07 में क्रमशः रुपये 123 करोड़ एवं रुपये 90 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित किये गये।

28. जिला आयोजना का निर्माण के तहत प्रदेश में पहली बार गांवों की पंचवर्षीय योजना का निर्माण स्वयं ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभाओं में किया गया है। इसके लिए विकेन्द्रित प्रक्रिया अपनाकर प्रदेश के 13 प्रमुख विभागों की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर इन क्षेत्रों में वर्तमान में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए नीचे के स्तर से आगामी पांच वर्षों में आवश्यकता अनुरूप करवाये जाने वाले कार्यों को ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में तैयार करवाकर अनुमोदित करवाया गया है। राज्य सरकार के इस प्रयास की योजना आयोग द्वारा सराहना की गई है।

29. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गाँव योजना के तहत प्रदेश के 50 गांवों का चयन किया जाकर चयनित गांवों के आधार भूत ढांचा विकास के लिए योजना तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

30. करिश्मा परियोजना के अन्तर्गत राज्य की सभी 32 जिला परिषदों, सभी 237 पंचायत समितियों एवं 1000 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर्स उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।

31. वर्तमान सरकार ने जल संसाधन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जिसके फलस्वरूप इन कार्यों पर 3 वर्षों यथा 2004–05, 2005–06 व 2006–07 में रुपये 2,650.8 करोड़ व्यय होंगें जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल से पूर्व के 5 वर्षों यथा 1999–2000 से 2003–2004 में इन कार्यों हेतु रुपये 2,465.46 करोड़ व्यय किये गये। राशि रुपये 2,465.46 करोड़ में नर्मदा परियोजना के पेटे वर्षों से गुजरात सरकार को देय हिस्सा राशि रुपये 335 करोड़ भी शामिल है जो कि फरवरी 2004 में दिये गये जबकि पूर्व के 5 वर्षों में 57 करोड़ रुपये ही दिये गये थे।

32. इन कार्यों से 3 वर्षों में 3,82,670 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो जायेगी जबकि पूर्व के 5 वर्षों में 3,72,060 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई।

33. वर्षों से अधूरी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर जनसाधारण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 3 वर्षों में 126 सिंचाई परियोजनायें पूर्ण होगी, जबकि पूर्व के 5 वर्षो में 65 सिंचाई परियोजनायें ही पूर्ण की गई।

34. प्रथम बार माही परियोजना में राज्य योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य सागवाडा व आसपुर क्षेत्र के विकास के लिये भीखा भाई सागवाड़ा नहर 8 कि.मी. से 32.20 कि.मी. में कार्य प्रगति पर है तथा 32.20 कि.मी. से 78.88 कि.मी. तक

चार लघु परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

35. नर्मदा नहर परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान में मुख्य नहर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं वितरिकाओं का कार्य प्रगति पर है । नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्दति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है जिससे उपलब्ध जल का अनुकूलतम उपयोग हो सकेगा।

36. इन तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा राज्य में जल संरक्षण एवं भू–जल के रिचार्ज हेतु विभिन्न जिलों में लगभग 300 करोड़ रुपये के 1920 कार्य आरम्भ किये गये तथा 1750 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं 170 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्य प्रगतिरत हैं।

37. जल के संरक्षण एवं सदुपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जन सामान्य को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिये जल अभियान प्रारम्भ किया गया तथा जल चेतना यात्रा के दौरान 18000 से अधिक गॉवों में 60 लाख लोगों से रूबरू होकर आमजन की सहभागिता हॉसिल करने हेतु प्रेरित किया गया। यह पूरे देश में पहला अनूठा प्रयास है।

38. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में रुपये 165.69 करोड़ का बजट उपलब्ध कराकर 1,91660 हैक्टयर क्षेत्र पक्के खालों का निर्माण कार्य कराया गया हैं, जो इससे पूर्व तीन वर्षों में किये गये कार्य की तुलना में रुपये 56.95 करोड़ व 68162 हैक्टेयर क्षेत्र अधिक है। वर्ष

2006–07 में 62.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान उपलब्ध कराकर 57,150 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

39. वर्ष 2006–07 में बीसलपुर परियोजना में पक्के खालों के निर्माण एवं अन्य कार्य करने हेतु निर्णय लिया गया है, जिससे 81,000 हैक्टेयर क्षेत्र में 4 वर्षों में पक्के खालों का निर्माण एवं अन्य कार्य करवाया जाना प्रस्तावित हैं। इस हेतु वर्ष 2006–07 में रुपये तीन करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध करा दिया गया है।

40. चम्बल की 150 क्यूसेक से कम जल प्रवाह क्षमता वाली वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जिर्णोद्धार के लिए रुपये 3469. 03 लाख की 20 परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनके क्रियान्वयन से 88,000 हैक्टेयर क्षेत्र में समुचित मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

41. सड़क के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने विगत तीन वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किया है। गत सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल में किये गये 1 हजार 904 करोड़ रुपये के निवेश की तुलना में इस सरकार द्वारा 4 हजार 55 करोड़ रुपये का निवेश किया है जो तीन गुना से भी अधिक है।

42. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 18 हजार 660 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 5 हजार 538 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है जिसमें से गत तीन वर्षों में 14 हजार 724 किलोमीटर डामर की सड़कों का निर्माण कर 4 हजार 620 गांवों को जोड़ा गया जबकि गत सरकार के

कार्यकाल में 3 हजार 936 किलोमीटर डामर की सड़कों का निर्माण कर 918 गांवों को ही सड़कों से जोड़ा गया था।

43. राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 4 हजार 130 किलोमीटर लम्बाई में राज्य की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य करवाया जा रहा है।

44. राज्य में 7 अक्टूबर, 2005 से मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके तहत मेगा हाईवे परियोजना–प्रथम में पाँच राजमार्गों के 1 हजार 53 किलोमीटर सड़कों का चौड़ाईकरण, उन्नयनीकरण, 11 रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) व 28 बाई–पास का निर्माण प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत एक तिहाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्य अप्रैल, 2007 से मई, 2008 तक चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा।

45. राज्य योजना के अन्तर्गत नौ रेल ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है ।

46. राज्य में सीमेन्ट कंकरीट/पत्थर खरंजे की सड़कों के निर्माण के 238 किलोमीटर लम्बाई में 171 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रगति पर है।

47. राज्य में 4 हजार 668 किलोमीटर मैटल सड़कों (डब्ल्यू. बी. एम.) के डामरीकरण हेतु 458 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर कार्य करवाया जा रहा है।

48. महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटक स्थलों को 544 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों से जोड़ने के लिए 89 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं जो प्रगति पर हैं ।

49. राज्य के प्रत्येक जिले में एक ''आदर्श सड़क'' का भी निर्माण करवाया जा रहा है ।

50. एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक योजनान्तर्गत प्रावधान एवं अन्य स्रोतों से लगभग रुपये 48.37 करोड़ के निर्माण कार्य पूर्ण कराए गए हैं तथा रुपये 73.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं।

51. चिकित्सा के क्षेत्र में निजी विनियोजन की नीति के अन्तर्गत अब तक लगभग रुपये 2,000 करोड़ के प्रस्ताव सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

52. मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में डे–केयर सेन्टर्स की सेवायें प्रारम्भ की जा चुकी है तथा शेष मेडिकल कॉलेज में उक्त सुविधा शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।

53. विगत तीन वर्षों में प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज राजस्थान उच्च शिक्षा में विस्तार की दृष्टि से, राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे हैं । जहां भारतवर्ष में प्रति 77000 की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है वहां राजस्थान में प्रति 63000 की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है ।

54. तीन वर्ष पूर्व जहां राज्य में 509 महाविद्यालय थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 886 हो गयी है ।

55. इसी क्रम में यह भी अत्यन्त उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय खोलने के क्षेत्र

में सराहनीय पहल की गयी है । इसके फलस्वरूप 24 प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से 17 प्रस्तावों पर आशय–पत्र भी जारी हो चुके हैं।

56. राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही राज्य में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां तीन वर्ष पूर्व लगभग 2.85 लाख छात्र नामांकित थे, वहां आज यह संख्या लगभग 1 लाख की वृद्धि प्राप्त कर 3.85 लाख पर पहुंच गयी है ।

57. सत्र 2006–07 से कोटड़ा, पोकरण एवं सोजतसिटी में नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं ।

58. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु इस वर्ष सामान्य शिक्षा के 26 महाविद्यालयों में 42 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं ।

59. राज्य में पहली बार गैर तकनीकी महाविद्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू के माध्यम से वर्ष 2006–07 में 700 से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

60. गुणवत्ता प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिक्तियां भरने पर भी विशेष ध्यान दिया है । अध्यापन क्षेत्र में लगभग 913 रिक्तियां थी, जिनके विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 456 स्थानों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है ।

61. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के तीन वर्षों की अवधि में तकनीकी शिक्षा का विकास एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने

के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए राजकीय क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया गया है, जिसके अपेक्षित परिणाम सामने आये हैं। गत 3 वर्षों में राजकीय एवं निजी क्षेत्र में 9 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 5 एम.सी.ए, 32 एम.बी.ए., 21 फार्मेसी, 5 पॉलीटेक्नीक, 6 पैरा मेडिकल संस्थानों तथा 114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है। इन संस्थानों की स्थापना से राज्य में कुल 20119 सीटों की वृद्धि हुई है, जिससे तकनीकी पाठ्यक्रमों की कुल प्रवेश क्षमता वर्ष 2003 की तुलना में 30569 से बढ़कर 50,688 हो गई है।

62. वर्ष 2006–07 में राजकीय एवं निजी क्षेत्र में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 5 एम.सी.ए., 14 एम.बी.ए., 7 फार्मेसी, 5 पॉलीटेक्नीक तथा 83 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुए हैं। इस तरह से इसी वर्ष में 105 तकनीकी संस्थान स्थापित हुए हैं तथा विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में 8967 की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष में घोषित निजी सार्वजनिक सहभागिता योजनान्तर्गत 12 जिलों में पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय तथा 85 पंचायत समिति क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु आशय–पत्र जारी किये गये हैं। इससे 8000 से अधिक सीटों की वृद्धि होगी।

63. राजस्थान निरन्तर विकास की ओर अग्रसित राज्य है। साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिये जाने वाले विश्व के

सर्वाधिक प्रतिष्ठित ''यूनेस्को कन्फ्यूशियस अवार्ड'' से वर्ष 2006 में राजस्थान को नवाजा गया है। वर्ष 2006 में हनुमानगढ़ जिलें को साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये ''सत्येन मैत्रेय'' पुरस्कार प्रदान किया गया।

64. राज्य में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये गत तीन वर्षों में 42,470 अध्यापकों को नवीन नियुक्ति तथा बाह्य सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं की समाप्ति उपरान्त 11,617 कार्मिकों का समायोजन कर कुल 54,087 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जबकि गत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि में मात्र 4,767 को ही नवीन नियुक्तियां दी गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 में सृजित 35,003 पदों पर नवीन नियुक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु 23,907 शिक्षकों को संविदा पर विद्यार्थी मित्र योजना के अन्तर्गत रिक्त पदों पर लगाया गया। सुलभ शिक्षण सुविधा निकटतम दूरी पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में समस्त शिक्षा गारन्टी केन्द्रों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित तथा 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, निजी क्षेत्र के अन्तर्गत 986 उप्रावि को माध्यमिक विद्यालयों में 375 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है तथा 160 नवीन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आरम्भ किये गये। वर्तमान सरकार द्वारा विगत तीन वर्ष में क्रमशः 21,812 शिक्षा गारन्टी केन्द्र, 4,162 नवीन

प्राथमिक, 10,175 उच्च प्राथमिक, 925 माध्यमिक एवं 469 उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया।

65. ''मुख्यमंत्री शिक्षा संबल महाअभियान'' 15 जुलाई से 5 सितम्बर 2006 तक राज्य में चला कर 6 से 14 वर्ष के 16.44 लाख बच्चों को विद्यालय से जोड़कर नामांकन किया गया। स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से 21,879 नवीन छात्रों का पंजीकरण कर 49,941 छात्रों को माध्यमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। संभाग स्तर पर शिक्षा से वंचित 15,000 बच्चों को नजदीकी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु कच्ची बस्ती के बच्चों को विद्यालय आने जाने हेतु निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करायी गई। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सभी वर्ग के एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई, जिसमें गत तीन वर्षो के दौरान लगभग 181.00 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

66. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वर्ष 1998–99 में आरम्भ की गई गार्गी पुरस्कार योजनान्तर्गत 2,193 छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करने हेतु 21.93 लाख रुपये व्यय किये गये, जबकि चालू सत्र में इस योजनान्तर्गत 11,056 छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर 110.56 लाख रुपये व्यय किये गये। 18,038 बालिकाओं को निःशुल्क बस पास सुविधा तथा जनजाति क्षेत्र में 6,242 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें उपलब्ध करायी गयी। औपचारिक शिक्षा से वंचित

69,912 बालक–बालिकाओं को 1,326 ब्रिज कोर्स के माध्यम से तथा 2,830 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नौ माह के आवासीय ब्रिज कोर्स के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराते हुए 298 विकलांग बच्चों को सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराये गये। 56 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 3,748 बालिकाओं को आवासीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में बी.एड. महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिये लगभग 3,500 सीटें (10 प्रतिशत) विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए प्रथम बार आरक्षण किया गया है। यूनीसेफ के सहयोग से 11 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं में अनिमिया नियंत्रण की परियोजना 7 जिलों में संचालित की जा रही है।

67. स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 व 10 में छात्राओं को कम्प्यूटर शुल्क से पूर्णतः मुक्त रखते हुये छात्रों से मात्र 50 प्रतिशत शुल्क लेने का प्रावधान रखा गया है। संभागीय स्तर पर कच्ची बस्तियों के जयपुर संभाग में 3 मोबाइल कम्प्यूटर वैन तथा शेष संभागों हेतु 2–2 मोबाइल कम्प्यूटर वैन के माध्यम से छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। माइक्रोसाफ्ट, इंटेल, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के सहयोग से कम्प्यूटर लर्निंग प्रोग्राम के तहत 3000 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रदेश के 3,600 सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में ''कल्प'' योजना के तहत शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। राज्य में

''राजस्थान एजूकेशन इनिसिएटिव'' की स्थापना कर विश्व आर्थिक मंच से संबद्ध 19 संस्थाओं से कम्प्यूटर साक्षरता हेतु एम.ओ.यू. किये।

68. सत्र 2006–07 में प्राथमिक शिक्षान्तर्गत 817 विद्यालय भवन, 29,039 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 2,005 शौचालय एवं 3,807 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधाएं उपलबध कराई जा चुकी है। 1,374 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 27.15 करोड़ के निर्माण कार्य यथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा एवं विकलांगों के लिए रैम्प्स के कार्य कराये जा रहे हैं।

69. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में 6785 ग्राम व ढाणियों तथा 674 अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

70. ग्रीष्म संवर्द्धन 2007 के लिये 97.82 करोड़ रुपये के संवर्धन कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिसके तहत 651 नलकूपों, 4666 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य एवं 879 किलोमीटर पाईप लाईन विस्तार कार्य स्वीकृत किये गये हैं ।

71. हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत 48572 हैण्डपम्पों की मरम्मत कर पुनः चालू किये गये ।

72. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कुल 331385 व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों व 20901 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

73. 55 शहरों व 16085 ग्रामों व ढाणियों को लिये 7946.95 करोड़ रुपये लागत की 37 स्वीकृत वृहद् परियोजनाओं के अन्तर्गत 1392.45 करोड़ रुपये व्यय कर 8 कस्बों एवं 5668 ग्राम/ढाणियों को लाभांवित किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर हैं ।

74. सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिसम्बर माह में स्वास्थ्य चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। 9205 केम्पों में 31 लाख से भी अधिक मरीज देखे गये व उन्हें निःशुल्क दवाऐं उपलब्ध कराई गई । 2 लाख 85 हजार मरीजों की जांच की गई।

75. सरकार ने अपने तीन वर्षों में विगत पांच वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। गत तीन वर्षों में 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 686 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये जबकि विगत 5 वर्षों में केवल 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 75 उप स्वास्थ्य केन्द्र ही खोले गये।

76. इसी प्रकार सरकार ने तीन वर्षों में 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के, 454 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के, 40 चिकित्सक आवास गृहों, 42 नर्सिंग आवास गृहों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जबकि विगत पांच वर्षों में केवल 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के, 75 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के ही भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई। पहली बार 10 जिला चिकित्सालयों में सिटी स्केन मशीन स्थापित की गई।

77. सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने पर संस्थागत प्रसव करवाने पर ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिला को 1400/–रुपये एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000/– रुपये देने का प्रावधान किया हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 2 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

78. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी ऑपरेशन कराने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दुगुनी की गई।

79. इन तीन वर्षों में की गई प्रगति के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर 75 से घटकर 67 तथा जन्मदर 30.3 से घटकर 28.6 हो गई है तथा मातृ मृत्यु दर 677 से घटकर 445 रह गई है।

80. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 32 जिला अस्पतालों, 6 मेडिकल कॉलेजों तथा 6 मोबाईल वैन इकाईयों में टेलिमेडिसन सुविधा स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में एड्स के मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने हेतु दो ए.आर.टी. (एन्टी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट) सेन्टर जयपुर व जोधपुर में प्रारंभ किए गए।

81. राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में अन्धता के 2.24 प्रतिशत को घटाकर 0.34 प्रतिशत लाना है वर्तमान में अंधता की दर 1.55 प्रतिशत है। ऑपरेशन जीरो कैटरेक्ट जो कि 2004–05 में आरंभ किया

गया था के अन्तर्गत वर्ष 2008 तक 9,00,000 (नौ लाख) ऑपरेशन करते हुए कैटरेक्ट के बैकलॉग को पूरा किया जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2004–05 से दिसम्बर, 2006 तक कुल 7,00,000 (सात लाख) ऑपरेशन किए जा चुके हैं।

82. आयुर्वेद विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त 3,739 (तीन हजार सात सौ उनतालीस) औषधालयों को वर्ष 2006–07 में 864.75 (अक्षरे आठ करोड़ चौंसठ लाख पिचहतर हजार) रुपये आवश्यक औषधियों हेतु उपलब्ध कराये गये।

83. ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा हेतु वर्ष 2006–07 में 31 शिविरों का आयोजन कर चिकित्सा उपलब्ध करायी गयी।

84. स्वास्थ्य चेतना यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरों में विभागीय चिकित्सा दलों द्वारा 12.82 लाख (बारह लाख बयासी हजार) ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधियां वितरित की गयी एवं 15,706 मरीजों को विशिष्ट चिकित्सा हेतु चिन्हित किया गया।

85. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुष चिकित्सा सुविधाओं को एलोपैथी के साथ एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के निर्णय की पालना में 32 जिला मुख्यालयों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 128 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विभागीय औषधालय स्थानान्तरित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

86. बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से चिकित्सकों के 396 पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर के 219 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया।

87. राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र में की गई पहल के फलस्वरूप राज्य ने कृषि क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किए हैं।

88. फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु फसल केन्द्रित विशेष अभियान यथा– सरसों में टारगेट 20^{+} तथा जौ में ऑपरेशन 150 प्रतिशत चलाए गए। उन्नत कृषि विधियों की जानकारी तथा विभागीय योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य में 'कृषि योजनाएँ आपके द्वार' व किसान महोत्सव जल चेतना यात्रा अभियान चलाया गया, जिसको कृषकों का अपार समर्थन मिला है । राज्य सरकार अब खरीफ व रबी से पूर्व इस प्रकार के अभियान प्रतिवर्ष चलाने के लिए कटिबद्ध है।

89. विगत दो वर्षों में क्रमशः 12.35 लाख मै. टन व 14.17 लाख मै. टन सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गयी है, जो एक कीर्तिमान है।

90. राज्य में कृषि जलवायु आधारित कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत सुविधाओं में विस्तार किया गया है।

91. प्रमाणित एवं उन्नत बीजों का वितरण वर्ष 2003–04 में 5 लाख क्वि. से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 9 लाख क्वि. होने का अनुमान है। उर्वरकों का वितरण वर्ष 2003–04 में

16 लाख मै. टन से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 19 लाख मै. टन हो गया है । इस प्रकार प्रमुख कृषि आदानों बीज व उर्वरक की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

92. राज्य में राज्य किसान आयोग का गठन, राजस्थान आजीविका मिशन की स्थापना, प्रगतिशील कृषकों एवं विभागीय अधिकारियों के अन्तरराज्यीय, जलगांव (महाराष्ट्र) तथा इजराइल भ्रमण आयोजित किए गए ।

93. राज्य में रबी अनाजों का उत्पादन वर्ष 2003–04 में 63 लाख मै. टन से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 85 लाख मै. टन, रबी दलहन का उत्पादन वर्ष 2003–04 में 8 लाख मै. टन से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 11 लाख मै. टन तथा कुल तिलहन उत्पादन वर्ष 2003–04 में 40 लाख मै. टन से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 58 लाख मै. टन होने की संभावना है।

94. गत तीन वर्षों में पशुपालन विभाग द्वारा 137.89 लाख पशुओं का टीकाकरण, 310.16 लाख पशुओं का उपचार, 19.46 लाख पशुओं का बधियाकरण एवं 24.37 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया एवं राज्य में टीका उत्पादन प्रयोगशाला में 248.58 लाख टीकों का उत्पादन किया गया तथा 19.57 लाख खुरपका–मुँहपका टीकाकरण किया गया ।

95. भेड़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 391.03 लाख भेड़ों को कृमिनाशक दवा पिलाई गई, 217.11 लाख भेड़ों में दवा स्प्रे (छिड़काव) किया गया और 183.61 लाख भेड़ों को टीके लगाये गये, 22.81 लाख अनुपयोगी भेड़ों का बधियाकरण

किया गया एवं 0.78 लाख ऊन के नमूनों की बीकानेर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला द्वारा जाँच की गई ।

96. राज्य सरकार की राजकीय अनुदानित बीमा योजनाओं के अन्तर्गत भेड़ बीमा हेतु 41.38 लाख रुपये का अनुदान बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवाया गया, जबकि 143.14 लाख रुपयों का बीमा लाभ पशुपालकों को प्राप्त हो चुका है । इसी भांति प्रदेश में भेड़पालकों व गौपालकों के हितार्थ बीमा योजनायें प्रारम्भ की गई हैं, जिससे भेड़पालक/गौपालक लाभान्वित हो रहे हैं । योजना में 2,43,920 भेड़ों का बीमा, 98,620 भेड़पालकों का बीमा, 30,611 गायों का बीमा व 97,454 गौपालकों का बीमा करवाया गया है।

97. राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लिमिटेड से संबद्ध 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा वर्ष में माह दिसम्बर, 2006 तक कुल औसतन 13.49 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलित कर 12.01 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध विपणन किया गया, जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है । वर्ष में दुग्ध उत्पादकों को विगत वर्ष की तुलना में उनके दूध की कीमत के रूप में 12 प्रतिशत वृद्धि की गयी एवं दुग्ध उत्पादकों को 449 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया । फैडरेशन द्वारा अपने दुग्ध उत्पादकों हेतु एक अनुपम योजना 'सरस सामूहिक आरोग्य बीमा' के अन्तर्गत अब तक 91,362 सदस्यों को लाभान्वित करते हुए कुल देय बीमा प्रीमियम राशि रुपये 3.32 करोड़ के

55 प्रतिशत अनुदानस्वरूप 182.6 लाख रुपये का भुगतान किया गया है ।

98. सहकारी संस्थाओं में 15 वर्षों के पश्चात् निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन कर लगभग 11,000 सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये गये। इनके प्रथम चरण में 5,188 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, द्वितीय चरण में 5,189 पैक्स/लैम्पस एवं आर.सी. डी.एफ. सहित लगभग 662 अन्य सहकारी समितियों के निर्वाचन कराये गये है।

99. सहकारी विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में अल्पकालीन ऋण के 2,700.00 करोड़ रुपये (दो हजार सात सौ करोड़ रुपये) के लक्ष्य के विरूद्व दिनांक 15.02.2007 तक 2,561.44 करोड़ रुपये (दौ हजार पांच सौ इक्कसठ करोड़ चवालीस लाख रुपये) के ऋण वितरण किये गये एवं दीर्घकालीन ऋण वितरण 275.00 करोड़ रुपये (दौ सौ पिच्चहतर करोड रुपये) के लक्ष्यों के विरूद्व 179.43 करोड़ रुपये (एक सौ उन्नयासी करोड़ तैतालीस लाख रुपये) कुल 2,740.87 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है। अल्पकालीन ऋण को कम ब्याज दर पर वितरण करने के उद्देश्य से इस वर्ष से 11.5 प्रतिशत के स्थान पर 7.00 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण वितरण करने का क्रान्तिकारी कदम लिया गया है ।

100. मार्च, 2006 से समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद प्रारम्भ कर 14.18 लाख मैट्रिक टन सरसों 264 क्रय केन्द्रों पर खरीद की गई थी, जिसका 2,652 करोड़ रुपये का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। वर्ष 2007 में राजस्थान में सरसों का भारी उत्पादन होने की सम्भावना है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा राजफैड/तिलम संघ के मार्फत समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद के लिए 263 केन्द्र चिन्हित कर आवश्यक प्रारम्भिक व्यवस्थाऐं पूर्ण कर ली गयी हैं। सरसों खरीद की तिथि सुनिश्चित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा केन्द्र सरकार को शीघ्र सरसों समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया है। केन्द्र सरकार से निर्देश प्राप्त होते ही राज्य सरकार द्वारा खरीद प्रारम्भ कर दी जावेगी।

101. राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति काफी संवेदनशील है तथा इस दिशा में कृषि टैरिफ में 1 जनवरी, 2005 से की गई वृद्धि का सम्पूर्ण भार किसानों पर नहीं डालकर राज्य सरकार ने स्वयं वहन किया है तथा इस घाटे की पूर्ति हेतु विद्युत् वितरण निगमों को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पूर्ण रूप से अतिरिक्त वित्तीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में 1,05,609 कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पहले ही राज्य सरकार ने राहत देते हुए 1.70 रुपये प्रति यूनिट की जगह केवल 85 पैसे प्रति यूनिट दर तय की है।

102. इस वर्ष रबी की फसल हेतु किसानों को पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध कराने हेतु रुपये 600 करोड़ व्यय कर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बिजली क्रय करवाई गई है। विगत 3 वर्षों में 1400 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय कर विद्युत् कम्पनियों ने काश्तकारों को रबी की फसल का पूरा लाभ लेने हेतु व्यवस्था की। केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन गृहों से राज्य को आवंटित विद्युत् उपलब्ध नहीं होने पर भी माह जनवरी, 2007 में 1,028 लाख यूनिट प्रतिदिन की विद्युत् आपूर्ति की गई है जो अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है।

103. विद्युत् की छीजत में कमी करने हेतु 11 के.वी. के सभी 8,475 फीडरों के सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी फीडरों के सुधार हेतु संविदा के आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 1686 फीडरों के सुधार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिन फीडरों के सुधार के फलस्वरूप छीजत 15 प्रतिशत तक आ गई है, ऐसे 600 ग्रामों को 24 घंटे विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है।

104. राज्य में विद्युत् की बढ़ती हुई मांग प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का परिचायक है और मांग व पूर्ति के अन्तर को कम करने के लिए राज्य सरकार विद्युत् उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। इस क्रम में राज्य क्षेत्र में 1,525 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। राज्य में पहली बार लिग्नाइट आधारित 125 मेगावाट क्षमता की गिरल परियोजना की प्रथम इकाई का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसी माह विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ हो जावेगा।

330 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित धौलपुर विद्युत् परियोजना पर भी द्रुतगति से कार्य चल रहा है तथा इसी वर्ष विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है।

105. प्रसारण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु विगत तीन वर्षों में 220 के.वी. के 7,132 के.वी. के 35 तथा 33 के. वी. के 557 ग्रिड सब–स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं। 220 के.वी. के 2,132 के.वी. के 7 तथा 33 के.वी. के 56 ग्रिड सब–स्टेशनों की स्थापना का कार्य मार्च, 2007 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

106. राज्य की समस्त राजस्व तहसीलों की जमाबन्दियों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है एवं यह समस्त डेटा इन्टरनेट पर उपलब्ध है। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर जिले की विराटनगर तहसील में खसरा नक्शा को डिजिटाइजेशन करने का कार्य प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ किया गया है।

107. ग्राम सम्पर्क अभियान के अन्तर्गत दिनांक 2 जनवरी, 2007 से 9 फरवरी, 2007 तक 2,09,897 नामान्तकरण सत्यापित किये गये, 1,07,143 पास बुक वितरित की गयी, 18,205 किसानों को खातेदारी अधिकार दिये गये एवं 21,560 विभाजन के प्रकरण निस्तारित किये गये। जल चेतना अभियान के दौरान 26,046 नामान्तकरण का निस्तारण किया गया।

108. उपनिवेशन विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में गत 3 वर्षों में 7,366 काश्तकारों को 33,555 हैक्टेयर

कमाण्ड एवं 19,960 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि का कुल 53,515 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया गया।

109. राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों द्वारा देय बकाया किश्त जमा कराने पर देय ब्याज को माफ करने का आदेश 6 अगस्त, 2004 को जारी किया गया, जिसकी अवधि समय–समय पर बढ़ायी गयी। यह अवधि 30 जून, 2006 को समाप्त हो गयी। इस अवधि के दौरान 49,701 काश्तकारों द्वारा देय राशि जमा कराने पर 28.50 करोड़ रुपये की ब्याज की छूट दी गयी।

110. जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत माही, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को निःशुल्क भूमि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के आवंटियों को आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि पर आवंटन का प्रावधान किया गया। इससे 149 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

111. माही विस्थापितों का पुनर्वास करने की समस्या कई वर्षों से विचाराधीन चली आ रही थी। इन विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिए अभियान चलाया जाकर 460 विस्थापितों का पुनर्वास किया गया एवं शेष विस्थापितों के पुनर्वास के प्रयास जारी हैं।

112. द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन–पेंशनर पूर्व सैनिकों को दी जा रही 300/– रुपये प्रति माह की पेंशन तथा उनकी विधवाओं को दी जा रही 600/– रुपये प्रति माह की पेंशन

को बढ़ाकर 1.4.2006 से 800/– रुपये प्रति माह कर दी गई है। इससे द्वितीय विश्व युद्ध के कुल 8,914 नॉन–पेंशनर पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें लाभान्वित हुई हैं।

113. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, सैना/वायु/नौ सैना मैडल धारकों को पूर्व में दी जा रही नकद राशि क्रमशः 22,500/–, 20,000/–, 15,000/–, 12,000/–, 7,000/– एवं 5,000/–, 3,000/– रुपयों को 10 गुना बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, शौर्य के लिए पुलिस पदक आदि मैडल धारकों को पूर्व में दी जा रही कुल नकद राशि क्रमशः 15,000/–, 15,000/– को बढ़ाकर क्रमशः 1.00 लाख व 50,000/– रुपये कर दी गई है।

114. वर्ष 2006 में 1,159 पूर्व सैनिकों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के स्टेज–II में भूमि आवंटन की गई।

115. राज्य पुलिस की सक्रियता एवं सजगता के कारण वर्ष 2006 में कानून–व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। पुलिस प्रशासन एवं जनता के मध्य बेहतर सहयोग से कतिपय घटनाओं को छोड़कर राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सद्भाव बना रहा। वर्ष 2005 की अपेक्षा 2006 में लूट एवं बलात्कार के अलावा शेष सभी अपराधों में कमी हुई है, जबकि वर्ष 2004 की अपेक्षा बलात्कार के अलावा अन्य सभी अपराधों में 8.31 प्रतिशत की कमी आई है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली में राज्य

पुलिस द्वारा डकैती, लूट, हत्या एवं अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राज्य में वांछित 22 इनामी डकैतों सहित 69 डकैतों को गिरफ्तार किया गया तथा 2 इनामी डकैतों सहित 5 डकैतों को मार गिराया। डकैती, लूट, बलात्कार आदि संगीन अपराधों में अनुसंधान की प्रक्रिया को तीव्रतर करने की दृष्टि से प्रारंभ की गयी ''केस ऑफिसर स्कीम'' में बहुत सफलता मिली है। इनसे न केवल अनुसंधान त्वरित गति से हुए वरन् सजायाबी प्रतिशत भी 50 से बढ़कर 70–75 प्रतिशत तक हुआ है। 'स्पेशल क्राइम एण्ड इकोनोमिक्स आफेन्स यूनिट' द्वारा अनेक गंभीर अपराधों का अनुसंधान कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सुपारी किलर की गिरफ्तारी, विदेशों में नौकरी हेतु भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये हड़पने वाले कबूतरबाजों की गिरफ्तारी कर महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

116. पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 41 थानों को आई.एस.ओ. 9001:2000 सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है। जयपुर के शिप्रापथ व रामगंज थाने को पूरे एशिया में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर आकलित किया गया है। भा.द.सं. में दर्ज अपराधों के निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है जहां वर्ष 2006 में 96.03 प्रतिशत अपराधों का अनुसंधान कर निस्तारण किया गया। वर्ष 2006–07 में राज्य के सभी थानों के कम्प्यूटराइजेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। इसमें सांसद और विधायकों ने भी अपनी निधि से सहयोग किया। थानों से

लेकर राज्य स्तर तक जनसहभागिता अधिकाधिक हो इस दृष्टि से राज्य स्तर पर एक 'राज्यस्तरीय समिति', प्रत्येक जिले में 'जिला समन्वय समिति' तथा थाना स्तर पर 'समुदाय सम्पर्क समूहों' (सी.एल.जी.)का गठन किया गया है। आपसी विवादों को मिल–बैठकर सुलझाने तथा पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों के बीच में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने में इन समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है।

117. विज्ञानसम्मत साक्ष्य की सुविधा राज्य के सभी संभागों में उपलब्ध हो, इस दृष्टि से जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुर की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा कोटा में एक नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला विकसित की गयी है। अजमेर, भरतपुर एवं बीकानेर में भी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ प्रक्रियाधीन हैं। जिलों के लिए 'मोबाइल यूनिट्स' गठित की गयी हैं। जयपुर स्थित प्रयोगशाला में कई नये अनुभाग आरंभ किये गये जिनमें कम्प्यूटर तथा साईबर अनुभाग, ऑडियो/वीडियो टेप तथा सी.डी. रिकॉर्डिंग वेरीफिकेशन, वन्य जीवन अपराध सेक्शन तथा डी.एन.ए. परीक्षण लैब उल्लेखनीय हैं। जिलों में लम्बित लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापिस लिये जाने के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श दिये जाने हेतु जिला स्तर पर 'जिला स्तरीय समितियों' का पुनर्गठन किया गया। इन समितियों की गतिशीलता और नियमित समीक्षा का परिणाम यह हुआ कि पूरे वर्ष में जो मात्र 100–150 प्रकरण हो पाते थे, उनकी संख्या बढ़कर 12,960 हो गयी। 25 अप्रेल, 2006 को

मुख्यमंत्री महोदया ने अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध लंबित 20 बोतल तक शराब के तथा दो वर्ष तक की सजा के प्रकरणों को वापिस लेने की घोषणा की थी तदनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 6,276 तथा आबकारी अधिनियम के 2,928 प्रकरण वापिस लिये गये हैं।

118. राज्य के 65 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 16.10.06 से अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन निगम के वाहनों में यात्रा पर किराये में 30 प्रतिशत की रियायत प्रदान की गयी है।

119. राज्य सरकार स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास हेतु सतत प्रयत्नशील है।

120. राज्य सरकार द्वारा समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में लागू गृहकर समाप्त कर दिया गया है।

121. शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं नगर निकायों को अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से नगर निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं। नगर निगमों को 2.00 करोड़ रुपये, नगर परिषदों को 1.00 करोड़ रुपये, जिला मुख्यालय की नगर–पालिकाओं को 50 लाख रुपये एवं अन्य नगरपालिकाओं को 10 लाख रुपये तक कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं। नगर निगम के महापौर, नगर परिषद् के सभापति, जिला मुख्यालय की नगरपालिकाओं के अध्यक्षों एवं अन्य नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को भी क्रमशः 25 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये एवं 1 लाख रुपये के वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये हैं।

122. राज्य के तीन शहरों जयपुर, अजमेर, पुष्कर का जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन हेतु चयन किया गया है। इन शहरों में आधारभूत विकास एवं शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवा परियोजनाओं हेतु वर्ष 2006–07 में 74 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अब तक इस योजनान्तर्गत 1021.59 करोड़ रुपये की 6 परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं।

123. राज्य के अन्य शहरों के लिये 2 अन्य परियोजनायें लघु एवं मध्यम कस्बों की समन्वित आधारभूत विकास योजना एवं एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में क्रमशः 59 करोड़ एवं 47 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। लघु एवं मध्यम कस्बों की समन्वित आधारभूत विकास योजनाओं में 149.46 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाएँ तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 59.45 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं।

124. विरासत संरक्षण एवं विकास योजना के अंतर्गत चयनित 31 शहरों में से 12 शहरों को वर्ष 2006–07 में 5.50 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं। इस योजना अंतर्गत अब तक 233 स्वीकृत कार्यों में से 143 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

125. शहरी जन सहभागी योजना के अन्तर्गत 44.35 करोड़ रूपये की लागत से 483 कार्य स्वीकृत किये गये थे, उनमें से 52 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

126. राज्य के 50 नगरीय क्षेत्रों में ''अक्षय कलेवा'' योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को केवल 5 रूपये प्रतिदिन में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और इससे लगभग 10,000 व्यक्ति प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं।

127. राज्य के छः प्रमुख शहरों यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर व अजमेर में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) द्वारा नागरिक सेवाओं के सुधार हेतु एशियन विकास बैंक से वित्त पोषित 1,600 करोड़ रुपये की विकास योजना का प्रथम चरण पूरा किया जा चुका है तथा द्वितीय चरण में राज्य में 15 शहरों को सम्मिलित किया गया है तथा द्वितीय चरण के ऋण की स्वीकृति एशियन विकास बैंक द्वारा प्रदान कर दी गई है।

128. जयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये आर.यू.आई.डी.पी.–फेज प्रथम के तहत ही बीसलपुर पेयजल योजना का कार्य दिनांक 1.07.2006 से शुरू किया जा चुका है और बीसलपुर बांध से 36 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन जयपुर शहर को उपलब्ध करवाया जायेगा तथा इस परियोजना को दिसम्बर, 2008 तक पूरा करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है।

129. बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) परियोजना के प्रथम चरण में केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत 469.00 करोड़ रुपये की

मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत शहर में 42 कि.मी. लम्बे कॉरीडोर में उच्च क्षमता युक्त कम्प्यूटराइज्ड तथा आधुनिक बसें उपलब्ध करवाई जावेंगी।

130. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सांगानेर (जयपुर) में अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए बहुमंजिली ''द्वारकापुरी आवासीय योजना'' में 2,976 फ्लेट्स आधुनिक तकनीक (माइवान शटरिंग) से निर्माणाधीन हैं। इसी तरह शहीद सैनिकों की विधवाओं हेतु ''वीरांगना विहार'' बहुमंजिली आवासीय योजना में 576 फ्लेट्स (G+7) बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

131. मानसरोवर में थड़ी होल्डर्स हेतु ''झूलेलाल मार्केट'' का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा इसी कॉलोनी में अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा ''दिसावर'' का निर्माण कराया जा रहा है।

132. राज्य में अब तक कुल 62 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान अनुमोदित कर लागू किये जा चुके हैं।

133. महाराष्ट्र पैटर्न मद के अन्तर्गत वर्तमान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में केवल तीन वर्ष के कार्यकाल में 184.03 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये जबकि इसके पूर्व के पांच वर्षों के कार्यकाल में 44.65 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये । यह वृद्धि 412.16 प्रतिशत है।

134. अनुसूचित क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु 290.00 लाख रुपये व्यय कर 18,897

छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें एवं स्कूटियां वितरित की गईं तथा इन्हीं क्षेत्रों में 123.17 लाख रुपये व्यय कर अन्त्योदय एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 5.62 लाख परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार एक किलो निःशुल्क आयोडीनयुक्त नमक वितरित किया गया है । पिछले तीन वर्षों में 28 नवीन आश्रम छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ किया गया है तथा 191 जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ।

135. वर्ष 2006–07 में कृषि, उद्यानिकी, सेरीकल्चर कार्यक्रमों के माध्यम से 11,055 जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया है। सिंचाई कार्यक्रमों के तहत 3,888 परिवारों को लाभान्वित किया गया। शैक्षिक कार्यक्रमों में 19,331 जनजाति छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2006–07 में सहरिया क्षेत्र में 100 अतिरिक्त माँबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ किया गया है जिनमें 3,000 सहरिया बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है ।

136. वेणेश्वर मेला स्थल के पास माही नदी डूँगरपुर में पर्यटन एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से राशि रुपये 4.59 करोड़ की लागत से निर्मित वेणेश्वर एनीकट का कार्य पूर्ण कर वर्ष 2006–07 में लोकार्पण किया गया है एवं गत तीन वर्षों में 222 अन्य एनीकटों का निर्माण करवाया गया है ।

137. अनुसूचित क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर

मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 30,000/– रुपये एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु 15,000/– रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुप्रति योजना वर्ष 2006–07 से लागू की गई है ।

138. जनजाति छात्र मेडिकल कॉलेज, आई.आई.टी. एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा सकें इसलिए राज्य के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रतिभावान जनजाति छात्रों को कोचिंग प्रदान की जा रही है । इसके लिए वर्ष 2006–07 में 10.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं ।

139. वर्ष 2006–07 में कक्षा 6 से 12 के जनजाति छात्र–छात्राओं को राज्य के उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययन योजना के तहत 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत कर 1,012 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया ।

140. गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को सम्बल प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस वर्ष 14 अगस्त से एक नई पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में राज्य के समस्त 22 लाख 23 हजार बी.पी.एल. परिवारों के मुखियाओं को निःशुल्क जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

141. वृद्धजन समाज के सम्मानीय एवं वंदनीय व्यक्ति हैं। 65 वर्ष एवं अधिक आयु के पात्र वृद्ध, निःशक्त एवं विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 200/– रुपये से बढ़ाकर

400/– रुपये प्रति माह की गई है। सामाजिक पेंशन योजनाओं में राज्य के 7 लाख 90 हजार पेंशनर्स पर 250 करोड़ रुपयों का वार्षिक व्यय किया जा रहा है।

142. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उन्नयन के लिये 602 राजकीय तथा 94 अनुदानित छात्रावासों के माध्यम से 28 हजार से अधिक छात्र/छात्राओं को तथा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के लगभग 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

143. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये संचालित की जा रही अनुप्रति योजना के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अभ्यर्थी को 1 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को राज्य की प्रशासनिक परीक्षा के लिये 45 हजार की राशि दी जाती है।

144. पालनहार योजना न केवल राजस्थान प्रदेश की बल्कि समूचे देश की एक अनूठी योजना है, जिसके अन्तर्गत सभी वर्गों के अनाथ बच्चों के पारिवारिक वातावरण में पालन–पोषण के लिये प्रति माह 675 रुपये, बच्चे के पालनहार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में 2 हजार से अधिक बच्चों की परवरिश हो रही है।

145. अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अनुसूचित जाति के बालिग युवक–युवती के साथ गैर– अनुसूचित जाति के युवती/युवक द्वारा अन्तर्जातीय विवाह पर दी जाने वाली 5 हजार रुपये की

प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

146. निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही योजना के तहत पात्र निःशक्तों को निःशुल्क मोबाइल कियोस्क तथा 40 हजार रुपये का ऋण एवं 10 हजार का अनुदान स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

147. राज्य में 274 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच इत्यादि सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत 32 लाख 26 हजार बच्चे एवं माताएँ पोषाहार का लाभ प्राप्त कर रहे हैं । 3–6 वर्ष के बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 15 लाख बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा से जोड़ा गया है ।

148. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर 70 प्रतिशत से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व पोषण दिवस का आयोजन प्रति माह किया जा रहा है । इनके माध्यम से अति–कुपोषित बच्चों की पहचान, सुरक्षित मातृत्व तथा पोषण एवं स्वास्थ्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इन प्रयासों के व्यापक प्रभाव ताजा सर्वेक्षणों में सामने आये हैं । राज्य में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अल्पवजनता की दर 51 प्रतिशत से घटकर 44 प्रतिशत रह गई है ।

149. कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष में न्यूट्रीशन परियोजना मिशन मोड में प्रारम्भ की गई है ।

150. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने की दृष्टि से राज्य में प्रथम बार विगत दो वर्षों में एक साथ 5 हजार आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करवाया गया ।

151. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य में 1 लाख 22 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है । 72 हजार से अधिक समूहों को 131 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये गये हैं तथा 1 लाख से अधिक महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा चुके हैं ।

152. गत तीन वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 45 हजार महिलाओं का नियोजन सहयोगिनी, साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रूप में किया गया है ।

153. महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन मानदेय पर कार्यरत लगभग 1 लाख 50 हजार महिलाओं के हितार्थ एक कल्याण कोष की स्थापना की गई है । इस योजना के अन्तर्गत मानदेय कर्मियों के योगदान पर 25 प्रतिशत राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है जिससे बीमे के लाभ के अतिरिक्त सेवा से मुक्त होने पर मानदेय पर कार्यरत महिलाओं को एकमुश्त राशि प्राप्त होती है । भारतीय

जीवन बीमा निगम के सहयोग से क्रियान्वित इस योजना के अन्तर्गत लगभग 70 हजार महिलाओं को जोड़ा जा चुका है । मानदेय कार्यकर्ताओं के लिए यह पहली सामूहिक बचत व बीमा योजना है ।

154. राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। सरकार की सकारात्मक नीतियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर, 2006 तक प्रदेश में 3,323 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश हुआ है एवं गत 3 वर्ष में यह निवेश 7,194 करोड़ रुपये का रहा है। राज्य में कई नई सीमेन्ट इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं एवं वर्तमान इकाइयों का भी विस्तार किया जा रहा है जिसमें 4,000 करोड़ रुपये का विनियोजन अनुमानित है।

155. इस वर्ष दो नये औद्योगिक क्षेत्र नीमराना व निवाई में विकसित किये गये हैं। किशनगढ़ के नजदीक सिलोरा में एक टैक्सटाइल पार्क के निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं इसी स्थान पर एक और इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है।

156. रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस वर्ष जनवरी, 2007 तक 364 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। इन निगमों द्वारा गत 3 वर्षो में 1,146 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत कर प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

157. इन प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष माह जनवरी, 2007 तक 1,20,000 से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन प्रदेश

कें औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। गत 3 वर्षों में 3 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर राज्य में सृजित किए गए हैं।

158. राज्य के ए.पी.एल. परिवारों हेतु प्रति माह आवंटित गेंहूँ की मात्रा 1,57,682 मै. टन को संशोधित कर माह जून, 2006 से नियमित आवंटन 16,959 मै. टन प्रति माह कर दिया गया है। यह पूर्व में आवंटित मात्रा का मात्र 10 प्रतिशत है। गेंहूँ की खुले बाजार में अधिक कीमतों के कारण ए.पी.एल परिवारों द्वारा भी गेंहूँ की मांग लगातार की जा रही है। राज्य सरकार ए.पी.एल. परिवारों हेतु गेंहूँ का आवंटन बढ़वाने के लिए भारत सरकार से निरन्तर प्रयासरत है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए.पी.एल. परिवारों को भी उचित मूल्य पर गेहूँ प्राप्त हो सके।

159. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य को आयातित गेहूँ आवंटित किया जा रहा है, जो लाल रंग व छोटे दाने का है और उपभोक्ताओं में सहज स्वीकार्य नहीं है। अतः केंद्र सरकार को अच्छी किस्म का गेहूँ आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

160. राजस्थान प्रान्त में अनूठी विरासत ऐतिहासिक भवनों, बावड़ियों एवं हवेलियों आदि के रूप में विद्यमान है। 100 वर्ष से पुराने 7,000 ऐसे ऐतिहासिक भवनों का सूचीकरण किया जा चुका है एवं शीघ्र पूर्ण प्रलेखन कार्य वित्तीय वर्ष 2006–2007 में पूरा हो जायेगा।

161. इस भव्य पुरासम्पदा के संरक्षण एवं विकास के लिए राजस्थान स्मारक, पुराअवशेष, स्थान तथा प्राचीन वस्तु

अधिनियम, 1961 में हेरिटेज जोन (Heritage Zone) हेतु एक नया अध्याय जोड़ने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। जयपुर शहर के हेरिटेज मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया जा चुका है, इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा। राज्य में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य चल रहा है तथा आगामी वर्ष में जोधपुर, मण्डोर, चित्तौड़, अजमेर एवं भरतपुर संग्रहालयों का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य आरम्भ किया जायेगा।

162. आमेर महल को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा आमेर महल परियोजना में लगभग 2.5 करोड़ रुपये के संरक्षण एवं विकास कार्य कराये जा चुके हैं। वर्ष 2007–2008 में राज्य के विभिन्न नगरों के 148 नगर द्वारों (City Gates) चूरू, झुन्झुनू, सीकर सहित शेखावटी हेरिटेज क्षेत्र, सांभर हेरिटेज क्षेत्र, दलहनपुर हेरिटेज क्षेत्र एवं महु बोरदा हेरिटेज क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

163. वर्ष 2006 में राज्य में 12.20 लाख विदेशी एवं 234.83 लाख स्वदेशी पर्यटक आये, जो अब तक सर्वाधिक है ।

164. भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगभग 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

165. राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगभग 7.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

166. भारत में आये विदेशी पर्यटकों के आगमन में से राज्य में आये विदेशी पर्यटकों के आगमन का हिस्सा लगभग 27.54 प्रतिशत है ।

167. ट्रेन ट्यूरिज्म में राजस्थान की सिरमोर स्थिति को और सुदृढ़ करते हुए रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एक और लॅक्जरी ट्रेन हैरिटेज ऑन व्हील्स शुरू की जा चुकी है, जो मीटर गेज पर शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर में चलाई जा रही है।

168. राज्य के पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या व आधारभूत आवासीय सुविधाओं के अनुपात को संतुलित रखने, राज्य में विनियोजन को बढ़ावा देने, आधारभूत संरचना के विकास एवं निवेशकों को राज्य में आकर्षक वातावरण प्रदान करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा माह जून, 2006 में नई होटल नीति–2006 घोषित की गई है। होटल नीति में विभिन्न छूटों एवं सुविधाओं का लाभ नई होटल्स इकाइयों को प्राप्त होगा। होटल नीति द्वारा होटल व्यवसायियों को आरक्षित वाणिज्यिक दरों की 50 प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध हो सकेगी। होटल इकाई स्थापित करने के लिये भूमि का रूपान्तरण निःशुल्क आधार पर कराया जा सकेगा ।

169. पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिये 1,83,990 हैक्टेयर क्षेत्र में पंचायत भूमि, पड़त भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया गया तथा गैर वन भूमि पर वृक्षाच्छादन हेतु कृषि वानिकी के तहत 376 लाख पौधे

किसानों, निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं तथा राजकीय विभागों को वितरित किये गये । इस वर्ष में 83,713 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य तथा कृषि वानिकी के तहत 138 लाख पौधों का वितरण अब तक किया गया है ।

170. वानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में 424 लाख मानव दिवसों का सृजन कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । इस वर्ष 2006–07 के दौरान अब तक 140 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है ।

171. राजस्थान में सहरिया एवं जनजाति क्षेत्र में इस वर्ष 45,000 हैक्टेयर पर क्लोजर्स निर्माण का कार्य किया जाकर स्थानीय वन सुरक्षा समितियों को रोजगार के साथ–साथ घास एवं अन्य लघु वन उपज उपलब्ध कराया गया है ।

172. मृदा एवं जल संरक्षण हेतु इस वर्ष 6,348 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

173. राज्य के गर्भ में विभिन्न प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की विपुल सम्पदा मौजूद है । इनके वृहद् स्तर पर दोहन के कारण राज्य के विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है । गत तीन वर्षों में विभाग द्वारा रुपये 2,564.31 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया, जो इससे पूर्व के पाँच वर्षों की तुलना में अर्जित राजस्व रुपये 2015.04 करोड़ से रुपये 549.27 करोड़ अधिक रहा । राज्य में अब तक 4,225 मिलियन टन लिग्नाइट के भण्डार सिद्ध किये जा चुके हैं । राज्य सरकार के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप

भारत सरकार ने बाड़मेर जिले के चार लिग्नाइट ब्लाक – कपूरड़ी, जालीपा, सच्चा सौदा एवं शिवकर को विद्युत् उत्पादन के लिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम को आवंटित किया है ।

174. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर–सांचोर बेसिन में केयर्न एनर्जी द्वारा वृहद् पैमाने पर अन्वेषण कर अभी तक 130 तेल के कुओं का छिद्रण कर 18 तेल और गैस क्षेत्र की खोज की गई है । नवीनतम आकलन के अनुसार इस क्षेत्र में 480 मिलियन टन कच्चे तेल एवं 3 से 6 बिलियन घन मीटर गैस के भण्डार सिद्ध किये गये हैं । उपलब्ध तेल भण्डारों के आधार पर राज्य में रिफाइनरी की स्थापना हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है । तेल के शीघ्र उत्पादन एवं परिशोधन से कच्चे तेल के मौजूदा आयात में कमी होगी जिसका सीधा लाभ राष्ट्र को प्राप्त होगा ।

175. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम तथा राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर लि. के बीच एक समझौते की अनुपालना में रुपये 400 करोड़ का निवेश कर 850 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के डी.ए.पी. संयंत्र की स्थापना चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में की जा रही है ।

176. राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जोधपुर स्थित 'स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर' राज्य में सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के विकास व विभिन्न योजनाओं के निर्माण में अपनी सहभागिता निभा रहा है ।

177. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत श्रम एवं रोजगार विभाग, द्वारा बाल श्रमिकों हेतु 858 विशेष विद्यालय संचालित कर 42,900 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। जनश्री बीमा योजना के तहत 19,982 श्रमिकों को बीमित किया गया है। श्रमिकों को कार्य के दौरान घटित दुर्घटना होने पर 19.65 करोड़ रुपये मुआवजा दिलाया गया है। टोंक जिले में 173 बीड़ी श्रमिकों हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन कर आवासों का निर्माण करवाया जा रहा है। 25 रोजगार मेलों का आयोजन कर 27,526 आशार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में 3,50,805 बीमित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।

178. राज्य में खिलाड़ियों के लिए निरन्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं में वृद्धि करते हुए 751.00 लाख रुपये की लागत से फ्लड लाइट्स एवं 334.00 लाख रुपये की लागत से सिन्थेटिक हॉकी टर्फ मैदान के निर्माण सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर पर करवाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 50.00 लाख रुपये की लागत से स्टेडियम पर साइकिलिंग वेलोड्रम पवेलियन, 142.50 लाख रुपये की लागत से ऑल वेदर स्वीमिंग पूल, 50–50 लाख रुपये की लागत से महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिए होस्टल एवं 432.00 लाख रुपये की लागत से सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण भी प्रगति पर है।

179. इसके साथ ही प्रदेश के झालावाड़ जिले में 260.00 लाख रुपये की लागत से खेल संकुल का निर्माण करवाया जा चुका हैं।

180. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जगतपुरा, जयपुर में विश्व–स्तरीय शूटिंग रेंज (तीरंदाजी, शूटिंग एवं घुड़सवारी) का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 20.00 करोड़ रुपये आएगी।

181. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न नवीन विधेयक विधान सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जायेंगें :–

1. भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007
2. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007
3. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन)विधेयक, 2007

182. इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगेः–

1. वर्ष 2007–08 के लिए आय–व्ययक अनुमान एवं तत्सम्बन्धी मांगें ।
2. वर्ष 2006–07 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें ।

183. आज का राजस्थान अपने सीमित संसाधनों के बावजूद विकास में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए अब 'बीमारू प्रदेश' की छाप से मुक्त हो चुका है । सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की विशिष्ट पहचान बनी है और प्रदेश में निवेश के लिए बड़े औद्योगिक घराने आगे आने लगे हैं जिससे आर्थिक विकास का नया

माहौल बना है । आप सभी सदस्यगण प्रदेश की प्रगति, खुशहाली और समृद्धि के लिए एकजुट होकर निरन्तर सक्रिय रहने के संकल्प को एक बार पुनः दोहरावें । ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की भावना से अनुप्राणित हमारी संस्कृति है । वैश्विक दृष्टि रखते हुए हमें ''सत्यं शिवं सुन्दरम्'' अनुपम रूपम राजस्थान का बनाना है । राजस्थान की महान जनता ने हमें विकास का सुअवसर दिया है । इस अवसर का हम राज्य के विकास के लिए लाभ उठावें । दलगत भावना से ऊपर उठकर हम अरावली की आन और धोरों की धरती का गान समवेत स्वर में गाएँ ।

184. आओ ! हम सब मिलकर शिक्षित–विकसित राजस्थान बनाएँ। अंत में कहना चाहूँगी :–

बड़प्पन की बात बने, जन–गण–मन उल्लास ।
द्विशत का ध्येय एक हो, राजस्थान विकास ।।

जय हिन्द !